

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सवाई माधोपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक का निजी ड्राईवर 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरोपी वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक फरार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 08 दिसम्बर, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाई माधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अजय प्रकाश सिंह, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक खनिज विभाग सवाई माधोपुर के निजी ड्राईवर आलोक सिंह निवासी झिरी जिला सवाई माधोपुर को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय प्रकाश सिंह, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक फरार है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाई माधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मैंने एक्सईएन ऑफिस डिस्कॉम बौली की सरकारी बिल्डिंग के निर्माण कार्य हेतु रवन्नाशुदा बजरी डलवाई थी। अजय प्रकाश सिंह, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा उक्त बजरी पर पेनल्टी लगाने की धमकी देकर कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी की सवाई माधोपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी अजय प्रकाश सिंह, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक खनिज विभाग सवाई माधोपुर की मांग के अनुसरण में उसके कहे अनुसार उसके निजी ड्राईवर आलोक सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी झिरी पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर द्वारा परिवादी से 40 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अजय प्रकाश सिंह को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर अपने निवास से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में फरार आरोपी अजय प्रकाश सिंह की तलाश एवं इनके आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।